रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-16022026-270157
CG-RJ-E-16022026-270157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
No. 654] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 10 फरवरी, 2026

का.आ. 688(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया हैं, राजस्थान राज्य में लालगढ़. बीकानेर पूर्व दोहरीकरण परियोजना (11.085 कि.मी.)की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षितहै, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा:

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी,/उप-खण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगाऔर सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में लालगढ़. बीकानेर पूर्व दोहरीकरण परियोजना 11.085 कि.मी.)की विशेष रेल परियोजना हेतु (बीकानेर उपखंड के लिए) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिलाः-बीकानेर

क्रम सं	उपखण्ड/ तहसील का नाम	गाॅव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की किस्म	कुल क्षेत्रफल(हेक्टयर में)	अवाप्तिकी जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल(हेक्टयर में)
1	बीकानेर	बीकानेर	672/445	नगर निगम	गैर मु. आबादी	90.00	0.217
			415	नगर निगम	गैर मु. आबादी	15.19	0.059
			416	नगर निगम	गैर मु. आबादी	0.35	0.099
			417	नगर निगम	गैर मु. आबादी	1.6	0.022
			608/393	नगर विकास न्यास	गैर मु. बंजर	4.68	0.088
कुल अवाप्त की जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल							**0.485**

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-23]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 10th February, 2026

S.O. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment) Act, 2008(11 of 2008)and the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Doubling between Lalgarh and Bikaner East (11.085 km) of Bikaner Division of North Western Railway in District Bikaner the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer,Bikaner,/ Sub Divisional magistrate, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Doubling between Lalgarh and Bikaner East (11.085 km) of Bikaner Division (For Bikaner Sub Division) in the State of Rajasthan.

District - Bikaner

S.No.	Name of the Sub Division/ Tehsil	Name of the Village	Survey / Khasra No.	Type of Land	Nature of Land	Total Area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)
1	Bikaner	Bikaner	672/445	Nagar Nigam	Gair Mumkin Abadi	90.00	0.217
			415	Nagar Nigam	Gair Mumkin Abadi	15.19	0.059
			416	Nagar Nigam	Gair Mumkin Abadi	0.35	0.099
			417	Nagar Nigam	Gair Mumkin Sadak	1.6	0.022
			608/393	Nagar Vikas Nyas	Gair MumkinBanjar	4.68	0.088
Total area of land to be acquired							**0.485**

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXIII]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.16 12:14:48 +05'30'